सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः -93/प्रेसनोट/2021 **20 फरवरी 2021**

प्रेस –विज्ञप्ति

थाना-फूलपुर

नाबालिक लड़की के साथ दुराचार करने वाला गिरफ्तार

दि0 25.9.19 को महेश (काल्पनिक नाम) थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा खुद की पुत्री संगीता (काल्पनिक नाम) को अभियुक्त विकास उर्फ लल्लू पुत्र अरूण साकिन खानपुर बेलमा थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/19 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कराया था। जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी के उपरान्त मेडिकल परिक्षण व बयान के आधार पर एक अन्य अभियुक्त पप्पू पुत्र धनई साकिन अतरैठ थाना अतरौलिया आजमगढ़ की नामजदगी बढाते हुये धारा 376डी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की मुकदमा बाला में बढोत्तरी हुई। मुकदमा बाला की विवेचना वर्तमान में उ0नि0 श्री कमला शंकर गिरी द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्र0नि0रत्नेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दि0 20.2.21 को समय करीब बजे मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त पप्पू पुत्र धनई साकिन अतरैठ थाना अतरौलिया आजमगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पूछताछ में अपने जुर्म से इन्कार करते हुये सफाई न्यायालय में देने को बताया।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु0अ0सं0 254/19 धारा 363,366,376डी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.पप्पू पुत्र धनई साकिन अतरैठ थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कमला शंकर गिरी थाना फूलपुर आजमगढ़

2. हे0का0 सूर्य प्रताप सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़

3. का0 अजय गौंड थाना फूलपुर, आजमगढ़

थाना जहानागंज

एक नफर वाछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

दिनांक 13.9.2020 को श्री राम यादव पुत्र स्व0 लक्खन राम यादव ग्राम हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ हाल पता क्षेत्रीय लेखपाल सेवटा सदर जनपद आजमगढ के लिखित सूचना पर मु0अ0स0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20.02.2021 को उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मयहमराह द्वारा मु0अ0सं0 201/2020 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त देवा उर्फ राजदेव पुत्र मुनीब ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 06.05 बजे अभियुक्त को घर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0-201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।
2. मु0अ0स0 148/18 धारा 147/148/149/323/504/506/395/452 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं0- 237/19 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

देवा उर्फ राजदेव पुत्र मुनीब ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मयहमराह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

थाना-महराजगंज

एक नफर वारंटी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,वारंटी,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.02.2021 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह का0 अंकित मिश्रा द्वारा वांछित,वारंटी की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि अ0सं0 315/12 धारा 304 , 120 B भादवि से सम्बन्धित वारंटी अम्बिका पुत्र बाबूनन्दन साकिन प्रतापपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर ग्राम प्रतापपुर में मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के साथ वारंटी के घर पहुँचा तो घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा मिला जिससे अम्बिका पुत्र बाबूनन्दन साकिन प्रतापपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैं ही अम्बिका हूँ। बाद बताने सम्बन्धित अ0सं0 315/12 धारा 304, 120 B भादवि के वारंटी को समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह

आज दिनांक 20 .02.2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह के दृष्टिगत जन जागरूकता अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पांण्डेय,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ,अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सुधीर कुमार जायसवाल ,क्षेत्राधिकारी लाइन श्री राजेश कुमार , संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्री संतोष कुमार सिंह , श्री पवन सोनकर आर आई आरटीओ कार्यालय व प्रभारी यातायात कौशल कुमार पाठक की मौजूदगी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनांक 21 .01.2021 से 20 .02.2021 तक का समापन कार्यक्रम किया गया । जिसमें स्थानीय जनपद के स्कूल कॉलेज की लगभग 100 छात्र-छात्राओं व व्यापार मंडल के पदाधिकारी व ऑटो ई रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण व ट्रैफिक वालंटियर को पुलिस अधीक्षक आजमगढ द्वारा संबोधन किया गया तथा बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करें जिससे सड़क दुर्घटना की बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके यातायात नियमों का पालन करने हेतु पूर्व में शपथ भी दिलाया गया था । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान चित्रकला लेखन तथा क्विज का कार्यक्रम किया गया था । जिसमें चित्रकारी में प्रथम पुरस्कार शिवम सिंह बीए द्वितीय वर्ष शिब्ली नेशनल पीजी कॉलेज, द्वितीय पुरस्कार श्री कन्हैया विश्वकर्मा बीए प्रथम वर्ष डीएवी कॉलेज तथा तृतीय पुरस्कार अमन रावत बीए द्वितीय वर्ष डीएवी कॉलेज तथा लेखन में प्रथम पुरस्कार प्रीती यादव बीए द्वितीय वर्ष डीएवी कालेज , द्वितीय पुरस्कार मनीष यादव बीए प्रथम वर्ष डीएवी कालेज, तृतीय पुरस्कार अभिषेक यादव बीए तृतीय वर्ष डीएवी कॉलेज तथा क्विज में प्रथम पुरस्कार निखिलेश यादव बीएससी तृतीय वर्ष बिहारी लाल स्मारक महाविद्यालय ,द्वितीय पुरस्कार अमन रावत बीए द्वितीय वर्ष डीएवी कॉलेज , तृतीय पुरस्कार रघुबीर यादव बी काम द्वितीय वर्ष डीएवी कालेज प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु यातायात पुलिस से श्री कौशल कुमार पाठक प्रभारी यातायात तथा हेड कांस्टेबल विवेक कुमार सिंह ,हेड कांस्टेबल टीपी मुन्ना सिंह,हेड कांस्टेबल टीपी राजेंद्र प्रसाद को पुलिस अधीक्षक आजमगढ द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो तथा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।